



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14593

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 569 सन् 2026

अवनीश कुमार और 11 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : भगवान दत्त पांडे

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.डी. पांडे और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने कहा है कि वे निर्देशों से भलीभांति परिचित हैं और मामले की पैरवी करने में सक्षम हैं। वह कोई प्रतिवाद शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और आगे निवेदन करते हैं कि रिट याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षों की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।
4. रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उन्हें 1992-1994 के दौरान वार्ड-बॉय, स्वीपर और चौकीदार के रूप में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त किया गया था। हालांकि, रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, दो आदेश पारित किए गए; एक दिनांक 30.11.2024 और दूसरा दिनांक 01.02.2025, जिसके दौरान एसीपी लाभ वापस लेने का प्रयास किया गया और वसूली आदेश पारित किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उक्त आदेशों को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने रिट-ए संख्या 12755/2025, राजपाल और 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के समक्ष याचिका दायर की। अन्य मामलों पर, जिनका निर्णय 29.05.2025 को हुआ, आदेश का उद्धरण यहाँ दिया गया है:-

"श्री राधाकांत ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री शिवेंद्र ओझा, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता और स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनी गई।

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 30.11.2024 और 01.01.2025 के आदेशों को रद्द करने की प्रार्थना की है, क्योंकि इन आदेशों के द्वारा उनके सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एसीपी) लाभ को वापस लेने का प्रयास किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अंततः वेतन निर्धारण पर वसूली होगी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि इन आदेशों के प्रतिकूल नागरिक परिणाम होंगे और फिर भी आदेश पारित करने से पहले किसी भी याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस तो दूर की बात है।"

आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं को एसीपी का लाभ दिए जाने और उन्हें वेतन प्राप्त करने की अनुमति दिए जाने के बाद, प्रत्यर्थागण का यह दायित्व था कि वे कम से कम उन्हें सुनवाई का एक अवसर दें।

माननीय स्थायी अधिवक्ता आक्षेपित आदेशों से यह सिद्ध नहीं कर सके कि याचिकाकर्ताओं को कभी कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, मैं पाता हूँ कि आक्षेपित आदेशों से भी यह स्पष्ट होता है कि एसीपी लाभ को इस आधार पर वापस लेने का प्रयास किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता पदोन्नति वेतनमान के हकदार नहीं थे।

मेरे विचार में, याचिकाकर्ताओं को लाभ दिए जाने के बाद, उन्हें कम से कम स्पष्टीकरण देने के लिए सुनवाई का अधिकार था।

अतः, इन परिस्थितियों में, मैं इन आदेशों को स्थगित करना उचित समझता हूँ ताकि याचिकाकर्ता एसीपी लाभ के बचाव में अपना स्पष्टीकरण दे सकें और उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इन परिस्थितियों में, यह याचिका याचिकाकर्ताओं को निर्देश के साथ निपटाई जाती है कि वे आज से चार सप्ताह के भीतर संबंधित सक्षम प्राधिकारी को आक्षेपित आदेशों का संज्ञान लेते हुए अपना व्यक्तिगत लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि ऐसा स्पष्टीकरण व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाता है, तो संबंधित सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या 2, याचिकाकर्ताओं के स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए एक माह की अवधि के भीतर मामले में अंतिम निर्णय लेगा। जब तक प्राधिकारी द्वारा ऐसा निर्णय नहीं लिया जाता, आक्षेपित आदेशों के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तदनुसार, उपरोक्त निर्देशानुसार नए सिरे से निर्णय लेने तक आक्षेपित आदेशों को स्थगित रखा जाता है।

6. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने अपने लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए हैं, जो पेपर-बुक के पृष्ठ 155 से शुरू होते हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आयुर्वेदिक सेवा निदेशक द्वारा दिनांक 10.12.2025 को पारित आदेश के आधार पर याचिकाकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया गया है।

7. उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ताओं ने यह याचिका दायर की है।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आक्षेपित आदेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता, विशेष रूप से तब जब मुकदमे की पिछली सुनवाई में, जिसका आदेश ऊपर उद्धृत है, प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने के लिए कहा गया था। हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार, स्पष्टीकरण पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।

9. विद्वान स्थायी अधिवक्ता इस स्थिति का खंडन नहीं कर सके। उनके अनुसार, हालांकि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था और वह सुनवाई के लिए उपस्थित हुए थे, लेकिन याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करते समय चुनौती दिए गए आदेश में कोई उल्लेख नहीं है।

10. मैंने बार में दिए गए सभी निवेदनों को सुना है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

11. तथ्य विवाद का विषय नहीं है। यह विवाद का विषय नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को वार्ड-बॉय के रूप में नियुक्त किया गया था और याचिकाकर्ता संख्या 1, 2, 3 और 3 को क्रमशः

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



30.12.1998 और 30.10.1999 को नियमित किया गया था और शेष याचिकाकर्ताओं के साथ वे तदर्थ आधार पर कार्यरत हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता से पूछे गए एक स्पष्ट प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया कि उनके स्पष्टीकरण पर कोई विचार नहीं किया गया है और उत्तर नकारात्मक है।

12. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है:

(क) निदेशक, आयुर्वेदिक सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 10.12.2025 को पारित आदेश रद्द किया जाता है।

(ख) याचिकाकर्ताओं के स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए नए आदेश पारित करने के लिए मामला प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है।

13. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

21 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)